

टेक्निकल एजुकेशन में एआइसीटीई का बड़ा कदम
एक ही सोसायटी के कॉलेज अब किए जा सकेंगे मर्ज



कोर्स वाइज मर्ज किए जा सकेंगे दो या अधिक इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

जयपुर ♦ ऑल इंडिया काउंसिल फोर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) ने एक ही एजुकेशनल सोसायटी के अंतर्गत चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशंस के मर्ज को अनुमति दे दी है। दिल्ली में आयोजित एआइसीटीई की वर्कशॉप में चेयरमैन अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने कहा कि इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मसी और डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्टडी करने वाले एक ही सोसायटी के दो या इससे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स कोर्स वाइज मर्ज हो सकेंगे। एआइसीटीई के इस कदम से एडमिशन की कमी से जूझ रहे इंस्टीट्यूशंस को मदद मिलेगी। वहीं स्टूडेंट्स को और अधिक एक्सपोजर मिलने के साथ ही इंस्टीट्यूट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ ही सही ढंग से ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे।

फैकल्टी रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ले सकेंगे यूज

टेक्निकल एजुकेशन एक्सपर्ट पुष्पेंद्र मुद्गल ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस के मर्ज के लिए एआइसीटीई ने कुछ शर्तें रखी हैं। इसके अनुसार, अगर पैरेंट इंस्टीट्यूशन चाइल्ड इंस्टीट्यूट की फैकल्टी रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित दूसरी सुविधाएं इस्तेमाल करना चाहता है, तो दोनों कॉलेजों की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर पैरेंट इंस्टीट्यूशन में पहले से ही ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं तो पांच किलोमीटर तक की दूरी के इंस्टीट्यूट्स मर्ज किए जा सकते हैं।